भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1863
दिनांक 30 जुलाई, 2026

पेट्रोलियम ईंधनों की निरंतर और पर्याप्त उपलब्धता

†1863. **श्री योगेन्द्र चांदोलिया:**
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री शंकर लालवानी:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री विजय बघेल:
श्री रमेश अवस्थी:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री दुलू महतो:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री अरुण गोविल:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री राजकुमार चाहर:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए देश भर में घरेलू ईंधनों की लगातार/बाधा-मुक्त और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए अपनाई गई प्राथमिकता प्रणाली का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरण प्रणाली में किए गए प्रमुख सुधारों/बेहतर कार्यों, विशेष रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत महिला लाभार्थियों के लिए पहुंच और वहनीयता में सुधार हेतु उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और वितरण प्रणाली की निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार महाराष्ट्र में विशेष रूप से पालघर में डीजल की उच्च लागत के कारण वहां की मत्स्य पालन सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान साबरकांठा में पीएमयूवाई के तहत कितने एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क), (ख) और (घ): खाड़ी क्षेत्र में घटित हो रही भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, सरकार ने देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध, पर्याप्त और समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए, भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अपने स्रोतों का दायरा 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है और एलएनजी और एलपीजी की आपूर्ति को 15 देशों तक विस्तारित किया है। इससे किसी विशेष देश, क्षेत्र या पारगमन मार्ग पर निर्भरता कम हुई है और आपूर्ति में व्यवधान और बाजार की अस्थिरता से निपटने की भारत की क्षमता में वृद्धि हुई है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से, वैश्विक आपूर्ति स्थितियों का निरंतर आकलन करती है और कच्चे तेल, एलएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाती है।

सरकार ने इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजन कंपनी के माध्यम से अल्पकालिक आपूर्ति संकटों से निपटने के लिए कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) सुविधाएं स्थापित की हैं। प्रथम चरण के तहत, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की कुल क्षमता वाले एसपीआर स्थापित किए गए हैं। जुलाई 2021 में, सरकार ने एसपीआर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के तहत ओडिशा और कर्नाटक में 6.5 मिलियन मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता वाली दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-कार्यनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी थी।

सरकार ने कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बहुआयामी रणनीति भी अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन, संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी), एथेनॉल, संपीडित बायोगैस और बायोडीजल जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना, रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को प्रोत्साहन, विभिन्न नीतिगत पहलों आदि के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं। ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीडित बायो गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, वहनीय परिवहन की दिशा में संधारणीय विकल्प (सतत) पहल भी शुरू की गई है।

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 दिनांक 09.03.2026 को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य एलएनजी सहित प्राकृतिक गैस के उत्पादन, आवंटन और वितरण को विनियमित करना और सभी क्षेत्रों में इसकी समान उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इस ढांचे के तहत, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता दी गई। अन्य क्षेत्रों को आपूर्ति को एक सुनियोजित तरीके से युक्तिसंगत बनाया गया ताकि किसी भी अस्थायी बाधा को व्यापक व्यवधान के बिना प्रबंधित किया जा सके। इन कदमों का उद्देश्य पर्याप्त प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान को रोकना था। ये उपाय अस्थायी थे, जिनका उद्देश्य संकट के दौरान समान वितरण सुनिश्चित करना और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना था। आपूर्ति की स्थिति में सुधार को देखते हुए, उक्त आदेश के अनुच्छेद 2 से 6 को बाद में दिनांक 04.07.2026 की अधिसूचना के माध्यम से हटा दिया गया।

एलपीजी के संबंध में फरवरी 2026 में मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने से पहले, भारत अपनी एलपीजी खपत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता था, जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता था। होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से आयातित एलपीजी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। संघर्ष शुरू होने के बाद एलपीजी आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई सक्रिय कदम उठाए। घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित रखी गई। इसके अलावा, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति कम कर दी गई, जबकि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में प्राथमिकता दी गई। स्थिति में सुधार होने पर, अन्य क्षेत्रों के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया और धीरे-धीरे गैर-घरेलू पैक्ड वाणिज्यिक एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंधों में ढील दी गई। इसके अतिरिक्त, एलपीजी उत्पादन को प्रतिदिन 34 से बढ़ाकर 54 हजार मीट्रिक टन करने, आयात

स्रोतों का विविधीकरण करने, गतिशील स्टॉक प्रबंधन, स्थानीय कमी को दूर करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय आवंटन आदि जैसे अन्य कदम भी उठाए गए।

पश्चिम एशिया संकट के शुरू होने के साथ ही, अप्रैल और मई 2026 में सऊदी अरब का औसत सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण का अंतरराष्ट्रीय मानक) बढ़कर 780 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन तक पहुंच गया। जून 2026 में, सऊदी सीपी में और वृद्धि होकर 796 अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन (प्रीमियम को छोड़कर) हो जाने के कारण, 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का बाजार निर्धारित मूल्य (एमडीपी) बढ़कर 1,695 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया।

जून 2026 में घरेलू एलपीजी का खुदरा विक्रय मूल्य 942 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर स्थिर रहा, जिस पर 700 रुपए से अधिक की निहित राजसहायता (अल्प वसूली) लागू है। जुलाई 2026 में भी, प्रत्येक 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर निहित राजसहायता 500 रुपए से अधिक है। 10.5 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए, 500 रुपए से अधिक की निहित राजसहायता के अतिरिक्त, 300 रुपए की लक्षित राजसहायता के बाद प्रभावी मूल्य केवल 642 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली) है।

सरकार देश में परिवारों को किफायती दरों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, जिसके लिए सरकार ने ओएमसीज़ को वित्त वर्ष 2022-23 में 22,000 करोड़ रुपये दिए और वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान 30,000 करोड़ रुपये का मुआवजा दे रही है। इस मुआवजे के भुगतान के बाद भी, घरेलू एलपीजी पर पीएसयू ओएमसीज़ की संचित अल्प वसूली 30 जून 2026 तक ही 51000 करोड़ रुपये से अधिक थी।

इसके अलावा, खाना पकाने के ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए दिनांक 12.03.2026 को 48,240 किलोलीटर पीडीएस एसकेओ का तदर्थ आवंटन किया गया था।

इसके अलावा, सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की है। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे घबराहट में खरीदारी, जमाखोरी, अनधिकृत भंडारण और पेट्रोलियम उत्पादों के संभावित गबन को रोकने के लिए संबंधित नियंत्रण आदेशों के तहत सख्त कार्रवाई करें।

(ग) और (च) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमानतमुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। दिनांक 01.07.2026 तक, देश भर में लगभग 10.58 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे।

गुजरात के साबरकांठा जिले में पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान कुल 9,862 पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(ङ) देश में डीजल की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) डीजल की कीमत तय करने के संबंध में उचित निर्णय लेती हैं।

पश्चिम एशिया में हाल ही में हुए भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण, अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतों में अचानक और महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप डीजल की थोक बिक्री कीमतों में भी वृद्धि हुई है। ओएमसीज़ ने मत्स्य पालन क्षेत्र को डीजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना जारी रखा है।

मार्च 2026 से, पश्चिम एशिया संकट के कारण, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को इसके प्रभाव से बचाने के लिए, मार्च 2026 में सरकार ने डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की, जिसके परिणामस्वरूप कर राजस्व पर काफी हद तक नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
